भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3081

18 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के परिचालन वर्टीकलों की स्थिति

†3081. **श्री राधाकृष्णः**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के सभी वर्टीकल जिनमें लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी)**,** साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और ऋण-सम्बद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) शामिल हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं और नए आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ख) पिछले पांच वर्षों में पीएमएवाई के तहत स्वीकृत**,** लंबित और चल रही आवास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य-वार पूर्ण हो चुके और निर्माणाधीन घरों की संख्या कितनी है**;**

(ग) क्या सरकार का भविष्य में पीएमएवाई-यू के किसी वर्टीकल के तहत नए आवेदनों की स्वीकृति को पुनः खोलने या विस्तारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) क्या आवेदन प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद रहने की अवधि के दौरान किए गए आवेदनों पर योजना के पुनः आरंभ के समय विचार किया जाएगा और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), 'स्व-स्थाने' स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। इस योजना

की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, सीएलएसएस घटक को छोड़कर, दिनांक 31.12.2025 दी गई ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और निष्पादन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को उपयुक्त साधनों के माध्यम से विभिन्न घटकों के तहत आवास की मांग का आकलन करना है। पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ अपनी मांग दर्ज कर सकते हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापन करते हैं और लाभार्थी सूची का चयन/जांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर की जाती है। योजना के दिशा-निर्देशों और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल को https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत और पूर्ण/सौंपे गए आवासों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

दिनांक 18-12-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3081 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत और पूर्ण/सौंपे गए आवासों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		स्वीकृत	पूर्ण/ सौंपे गए आवास	स्वीकृत	पूर्ण/ सौंपे गए आवास	स्वीकृत	पूर्ण/ सौंपे गए आवास	स्वीकृत	पूर्ण/ सौंपे गए आवास	स्वीकृत	पूर्ण/ सौंपे गए आवास
1	आंध्र प्रदेश	4,04,257	1,74,697	3,53,188	1,88,116	1,92,669	93,189	50,144	211	31,252	-
2	बिहार	33,866	20,145	9,478	6,568	2,206	2,206	12,993	7,313	1,00,014	28
3	छत्तीसगढ	29,295	27,978	47,931	43,177	36,936	32,504	3,515	3,158	-	-
4	गोवा	1,576	1,576	309	309	330	330	-	-	-	-
5	गुजरात	1,45,796	1,44,861	1,73,752	1,72,497	1,42,005	1,41,470	11,496	10,940	-	-
6	हरियाणा	13,043	13,043	7,269	7,191	5,142	5,142	-	-	15,256	-
7	हिमाचल प्रदेश	2,282	2,157	2,477	2,266	1,117	978	355	239	-	-
8	झारखंड	14,259	12,492	57,847	33,944	6,625	2,024	-	-	-	-
9	कर्नाटक	44,317	39,429	52,082	30,365	13,509	12,102	15,391	10,117	-	-
10	केरल	15,934	14,625	25,679	18,073	13,877	10,324	7,752	2,423	-	-
11	मध्य प्रदेश	63,453	61,611	1,79,020	1,63,683	66,380	63,241	9,502	8,127	-	-
-12	महाराष्ट्र	1,72,287	1,50,827	2,08,056	1,66,548	1,20,775	1,17,764	27,114	9,372	-	-
13	ओडिशा	18,696	16,870	54,103	36,298	1,325	1,325	18,769	11,989	5,304	8
14	पंजाब	13,123	13,123	9,691	9,691	24,284	17,637	-	-	-	-
15	राजस्थान	35,999	35,676	33,468	33,163	86,107	72,929	35,325	25,540	23,799	30
16	तमिलनाडु	84,129	76,270	69,552	56,258	31,713	29,987	10,178	8,355	-	-
17	तेलंगाना	49,234	42,276	17,225	15,977	7,751	7,751	-	-	1,13,681	-
18	उत्तर प्रदेश	2,26,488	2,20,580	1,26,197	1,21,402	1,25,420	1,19,189	1,56,763	1,45,020	55,625	-
19	उत्तराखंड	6,313	5,978	13,144	8,030	11,681	7,630	2,941	679	-	-
20	पश्चिम बंगाल	1,10,331	81,840	1,28,545	75,887	12,264	12,264	-	-	-	-
उप-कुल (राज्य)		**14,84,678**	**11,56,054**	**15,69,013**	**11,89,443**	**9,02,116**	**7,49,986**	**3,62,238**	**2,43,483**	**3,44,931**	**66**
21	अरुणाचल प्रदेश	26	26	2,110	2,110	8	8	-	-	5,278	184
22	असम	17,558	15,017	32,608	24,035	9,526	6,210	13,542	8,150	-	-
23	मणिपुर	11,465	3,178	5,571	871	21	21	-	-	-	-
24	मेघालय	55	55	6	6	4	4	-	-	-	-

25	मिजोरम	9,440	7,936	860	860	270	270	-	-	-	-
26	नागालैंड	3,370	3,258	3	3	1	1	-	-	-	-
27	सिक्किम	97	97	37	37	26	26	-	-	-	-
28	त्रिपुरा	9,065	8,798	7,670	7,243	4,444	3,821	4,790	1,955	-	-
उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य)		**51,076**	**38,365**	**48,865**	**35,165**	**14,300**	**10,361**	**18,332**	**10,105**	**5,278**	**184**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	348	205	1	1	1	1	-	-	-	-
30	चंडीगढ़ (यूटी)	406	406	141	141	130	130	-	-	-	-
31	दिल्ली (यूटी)	6,271	6,271	1,807	1,807	2,669	2,669	-	-	-	-
32	जम्मू और कश्मीर	1,215	1,215	10,260	7,815	266	266	3,677	2,245	1,272	-
33	लद्दाख (यूटी)	10	10	-	-	3	3	-	-	-	-
34	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	पुडुचेरी (यूटी)	2,249	1,814	1,740	1,053	457	457	1,810	1,352	446	-
36	दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1,884	1,884	1,132	1,132	1,342	1,342	-	-	-	-
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्रों)		**12,363**	**11,785**	**15,081**	**11,949**	**4,868**	**4,868**	**5,487**	**3,597**	**1,718**	**-**
कुल योग		**15,48,117**	**12,06,204**	**16,32,959**	**12,36,557**	**9,21,284**	**7,65,215**	**3,86,057**	**2,57,185**	**3,51,927**	**250**

*****